



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.  
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)



पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन  
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी  
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट-<http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाषनं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्सनं. - 0755-2462136

No: 510/SEIAA/2025

Date: 25/05/2025

प्रति,

M/s Sisodiya Khanij Udhog,  
Shri Kunwar Saurabh Singh Sisodiya, Proprietor,  
R/o- Satendra bhavan Ramnivas Singh Marg  
Bhatta Mohalla Katni (M.P.)  
E-mail - sisodiyasaurabhsingh@gmail.com


**विषय :- Proposal No. SIA/MP/MIN/464619/2024- Case No. 10019/23 Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine (Opencast semi mechanized method), for production capacity of Expansion from 15000 TPA to Limestone- 90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA, in an area of 11.02 ha., Khasra No. 243, 251, 253 & 247, Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni(M.P.) by M/s Sisodiya Khanij Udhog, Shri Kunwar Saurabh Singh Sisodiya, Proprietor, R/o- Satendra bhavan Ramnivas Singh Marg Bhatta Mohalla Katni (M.P.)**

विषयान्तर्गत प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण अनुमति प्रदान किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण दिनांक 06.06.2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) को अग्रेषित किया गया। प्रश्नाधीन प्रकरण SEIAA की बैठक में विचारण नहीं होने के कारण 45 दिवस से अधिक की अवधि समाप्त हो गई है।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 8 की कंडिका (iii) इस प्रकार है - "In the event that the decision of the regulatory authority is not communicated to the applicant within the period specified in sub-paragraphs (i) or (ii) above, as applicable, the applicant may proceed as if the environment clearance sought for has been granted or denied by the regulatory authority in terms of the final recommendations of the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned."

अतः ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार उक्त प्रकरण में SEAC की 762वीं बैठक दिनांक 03.06.2024 में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को अंतिम निर्णय मानते हुए राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा "Deemed Approval" माना जाकर पर्यावरण अनुमति दी जाती है। तदनुसार प्रकरण में ईआईए अधिसूचना के पैरा 8 की कंडिका (iii) के अनुसार आगामी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आप स्वतंत्र हैं।

(प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अनुमोदित)

  
(श्रीमन् शुक्ला)

कार्यपालन संचालक, एप्को  
एवं सदस्य सचिव, SEIAA



प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई दिल्ली - 110003।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल (म.प्र.)।
4. अध्यक्ष, SEIAA, एण्को पर्यावरण परिसर भोपाल (म.प्र.)।
5. अध्यक्ष SEAC, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल (म.प्र.)।
6. सदस्य सचिव, SEAC एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल।
7. कलेक्टर, जिला कटनी (म.प्र.)।
8. वन मंडलाधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)।
9. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
10. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
11. खनिज अधिकारी, जिला कटनी (म.प्र.)।
12. संबंधित फाईल।

की ओर सूचनार्थ।



कार्यपालन संचालक, एण्को  
एवं सदस्य सचिव, SEIAA



## 762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें।

**28. Case No. 10019/23 Shri Kunwar Saurabh Singh Sisodiya, Proprietor, M/s Sisodiya Khanij Udhog, R/o- Satendra bhavan Ramnivas Singh Marg Bhatta Mohalla Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Limestone & Dolomite Mine in an area of 11.02 ha. (Limestone & Dolomite – 15000 TPA to Limestone- 90,397.50 TPA & Dolomite-5317 TPA) (Khasra No. 243, 251, 253 & 247) Village Bhatgawan Sunhara Tehsil Murwara District Katni(M.P.). [MIN/464619/2024] EIA**

प्रस्तावित खदान बी-1 क्षमता वृद्धि श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें पूर्व बैठक क्रमांक 750 वीं दिनांक 14/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री कुँवर सौरभ सिंह सिसोदिया प्रो. मेसर्स सिसोदिया खनिज उद्योग ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स सिसोदिया खनिज उद्योग प्रो. कुँवर सौरभ सिंह सिसोदिया पता : सत्येन्द्र भवन, राम निवास मार्ग बट्टा मोहल्ला, तहसील एवं जिला कटनी (म.प्र.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नंबर – 243, 251, 253, 247 निजी	11.02 हेक्टेयर
स्थल	ग्राम– भटगवां–सुनहरा, तहसील– मुड़वारा, जिला– कटनी (म.प्र.)	
लीज स्वीकृति	मध्य प्रदेश शासन खनिज साधन विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 3-97/12/2000/2 दिनांक 16/10/2000 के द्वारा स्वीकृत।	

**762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 03 जून 2024**

लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम की धारा 8ए (6) के तहत पत्रांक 19-5/2015/12-1 दिनांक 12.03.2015 द्वारा लीज अवधि को 50 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है
सिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	<b>No:173/EPCO-SEIAA/11</b> <b>Date:08/06/2011</b>
MoEF & CC से अभी प्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन (Certified compliance)	<b>18-B-15 /2011 (SEAC)</b> <b>Date:28/08/2023</b>
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	उपांतरित अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	क्षमता विस्तार। बी-1
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	सेक की 660.वीं बैठक दिनांक 14/07/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 1092/SEIAA/2023 दिनांक 10-08-2023 के द्वारा 90397.50 घनमीटर/वर्ष चूना पत्थर 5,317.50 घनमीटर/वर्ष डोलोमाइट के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम उत्पादन क्षमता <b>Limestone &amp; Dolomite-15000TPA to Limestone-90,397.50TPA &amp; Dolomite-5317TPA</b> हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता <b>Limestone &amp; Dolomite-15000TPA to Limestone-90,397.50 TPA &amp; Dolomite-5317TPA</b> है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032 दिनांक 30/12/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 28.46 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी

## 762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

	के अंतर्गत आता है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032/खनिज/2022-23 दिनांक 30-12-2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 3032/खनिज/2022-23 दिनांक 30-12-2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत टेढ़ी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 25/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	पेड़ काटे जाने हैं तो उनका विवरण 05 काटे गये पेड़ों के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 50
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा— एक कच्ची रोड निकल रही है जिसके संदर्भ में बताया गया कि यह हालेज रोड है जो कि निजी जमीन से खदानों के श्रमिकों के घरों के लिये निकलती है । पश्चिम दिशा— प्राकृतिक नाला 23 मी. जिसके संदर्भ में 27 मी. का सेटबैक दिया गया है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 15/02/2023 को संपन्न हुई रोड की मरम्मत करवाई जाये गांव के लोगो को रोजगार दिया जाये उपरोक्त आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन

## 762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

	योजना/सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-17 के सरल क्रमांक-05 पर दर्ज है।

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 750 वीं दिनांक 14/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्पादन क्षमता में विस्तार क्षमता **Limestone & Dolomite-15000TPA to Limestone-90,397.50TPA & Dolomite-5317TPA** हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति (पत्र क्रमांक 173 दिनांक 08/06/2011, प्रकरण क्रमांक 62/2008) की शर्तों का अनुपालन एवं पर्यावरण वन मंत्रालय की सर्टिफाईड रिपोर्ट दिनांक 28/08/2023 का अवलोकन किया गया। पूर्व में जारी की गई इसी शर्तों की प्रमुख शर्तों के अनुसार 1000 पौधों को प्रति हे. की दर से लगाये जाने थे एवं 05 कि.मी. रेडियस में वेस्टलैंड का विकास किया जाना था। जिसका की कम्पलाईन्स नहीं पाया गया। समिति ने प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से पूर्व में सिया द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति के कम्पलाईन्स के पालन के संबंध कर निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

1. कल्टीवेटेड लैंड के संबंध में जानकारी
2. इसी की शर्तों के अनुसार प्लान्टेशन के संबंध में समिति द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
3. सी. एस. आर. के संबंध में जानकारी/साक्ष्य प्रस्तुत करें।

तदनुसार परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करे।

उपरोक्त जानकारी तदनुसार परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत की गयी।

प्रकरण को आज दिनांक 03/06/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध किया गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री कुँवर सौरभ सिंह सिसोदिया प्रो. मेसर्स सिसोदिया खनिज उद्योग ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार जानकारियां व साक्ष्य प्रस्तुत किये –



## 762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

1. बिंदु क्र. 1 अनुसार कल्टीवेटेड लैंड के संबंध में चाहि गयी जानकारी के परिप्रेक्ष्य में वेस्टलैंड का विकास किया जाना था जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर को बैंक ऑफ बड़ोदा चेक क्रमांक 426983 के माध्यम से रुपये 1,50,000/- की राशि उपलब्ध करवाई गयी जिससे की अनउपजाऊ भूमि को उपजाऊ कृषि योग्य भूमि बनाया जा सके जिसका पावती पत्र क्र. क/ले.नि/ई.एफ.पी./2024-25 दिनांक 21/05/2024 प्रस्तुत किया गया ।

2. बिंदु क्र. 2 के सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा फारेस्ट नर्सरी सरसवाही रोपनी कटनी कार्यालय में कुल 11,020 पौधे की कुल राशी रुपये 1,54,289/- जमा की गई जिनकी खरीद रसीद प्रस्तुतीकरण में संलग्न की हैं, प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पौधे आगामी मानसून के समय आस पास कि ग्राम पंचायतों के माध्यम से रोपित करवाए जावेंगे जिसके विवरण के तहत प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत पिपरिया, ग्राम पंचायत मढ़ई, ग्राम पंचायत लखापतेरी में उपरोक्त वर्णित पौधों के वितरण, परिवाहन व रखरखाव हेतु प्रत्येक पंचायत को 4,000- 4,000 पौधे प्रदाय किये एवं परिवहन और शुरू के समय के संरक्षण के लिये व 20,000 - 20,000 रुपए के चेक प्रदान किये जिसकी प्रतियाँ प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत की गई, इसके अतिरिक्त प्रस्तावक द्वारा पूर्व में 975 पौधे खदान क्षेत्र में लगाये गए थे जिसकी रसीद संलग्न हैं व 1,000 पौधे ग्राम पंचायत में वितरित करे गए व लगाये गए जिसका प्रमाणीकरण पंचायत द्वारा किया गया जोकि की प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रस्तुत की गई ।

3. बिंदु क्र. 3 अनुसार सी. एस. आर. के संबंध में जानकारी/साक्ष्य चाहे जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार कार्य किये व साक्ष्य और प्रमाणीकरण प्रस्तुत किये -

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोरोना काल के दौरान शासकीय अस्पताल में 2 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर व ग्रामवासियों में मास्क, सेनेटाईजर, व हैण्ड ग्लव्स का वितरण किया जिसकी राशी रुपये 1,09,000/- थी ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम बहोरीबन्द में स्थित महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था हेतु को प्रदत्त 50 बेंच - 50 टेबिल (फेब्रिकेशनकार्य के साथ ) एवं शिक्षकों हेतु 12 कुर्सी प्रदान किये गए जिसकी कुल राशी रुपये 65,000 थी ।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के इलाज हेतु समय समय पर राशी दान की जाती हैं जिसकी रसीद संलग्न कि गई (रुपये 13,000/-) ।
- ग्रामवासियों के लिए पानी की व्यवस्था हेतु ग्राम में हैंडपंप लगवाने हेतु सहयोग राशि प्रदान की ।

## 762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

- प्रस्तावक द्वारा समय समय पर शासकीय भवनों में पुताई रंगत कार्य किया जाता रहा है जिसका प्रमाणीकरण ग्रामपंचायत द्वारा किया गया जिसके साक्ष्य व पंचायत द्वारा प्रमाणीकरण पत्र संलग्न किये गए।
- प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी में किताबे एवं पेन पैसिल बाटे गाये व ग्राम में स्थित मंदिर संधारण हेतु सहायता कि गई।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के मवेशियों व अन्य जानवर हेतु सोलार वाटर पंप स्थापित किया गया जिसके साक्ष्य संलग्न हैं।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय समय पर मेडिकल कैंप लगाया गया जिसका प्रमाणीकरण डॉक्टर द्वारा दिया व अखबार में भी दिया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

### 13. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता —**Limestone-90,397.50TPA & Dolomite-5317TPA**

- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जायें।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

### 14. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 09.07 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 4.04 लाख प्रति वर्ष।

S. No.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
	<u>For environment Protection</u>	Capital	Recurring
1	Hiring of water tanker (3,000L) @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days – Rs 30,000/-		30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1 m Deep & 1900 m Long) <u>(50 % Completed and 50 % Pending)</u> 1. 5 nos of Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. 1 nos of Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	1,25,000	10,000



## 762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 03 जून 2024

3	Development and maintenance of WBM approach Road length approx.300 m, Width 5.5m (excluding shoulder)@ Rs300/meter	90,000	20,000
4	Monitoring twice a year AAQM @20000/yr, Water (surface and ground water )@10000/yr, Noise@10000/yr, Soil @10000/yr	NIL	50,000
5	Within Lease Area (Barrier zone and non-mining Zone) @150rs./tree (Total 2200nos)	3,30,000	20000
6	Wire fence (660m long) (@Rs200/m) <i>70 % Completed and 30 % Pending</i>	3,30,000	10,000
7	PUC certification of vehicles (03 dumpers @ Rs 500 per dumper)		1,500
8	Sowing of the Prosopis seeds, dhatkumari slips & local seeds along the bund of the garland drain & settling tank	10000	-
9	Drinking Water Facility and rest shelter (15x15 ft.) with solar light	-	8,000
10	Toilets 2 nos (Male & Female) 12500 x 2	-	5,000
11	Occupational health checkup workers and villagers (@twice/year)	Nil	50,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves for 25 workers @ Rs 2000 per set and safety harness belt for the workers involved in drilling works for max 2 workers only @ Rs 2000 per belt)- (25 x Rs 2000+Rs 4,000 )	-	10,000
13	Vocational training on mining methods and safe work practices (@twice/year)@ 1000 x 2 x 25	Nil	50,000
Emergency Rescue Plan			
14	Fire Fighting Equipments (1 Nos) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	10,000
15	Safety signage and warning boards like red flags, cones including reflectors	-	10,000
Extra Other Budget			
16	Distribution of the Led bulb to the nearby villagers 600 nos @ Rs100/bulb for the mitigation towards the carbon		60000
17	Contribution in cluster management plan	-	50000
18	Solid Waste Management		
	a) Bins 4 Nos @ Rs 1500 each		10,000
	b) Transport of Dry Waste	-	
	Total	9,07,000	4,04,500

## 762वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 03 जून 2024

15. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 06 माह में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
स्कूल में बच्चों के बैठने हेतु बैंच एवं डेस्क	25000.00/-
आगनबाड़ी के उन्नयन हेतु	15,000.00/-
स्कूल के बच्चों हेतु खेल सामग्री	10,000.00/-
स्कूल के उन्नयन एवं मरम्मत हेतु	15,000.00/-
अन्य कार्य पंचायत एवं ग्रामीण की मांग अनुसार	15,000.00/-
<b>कुल</b>	<b>80,000/-</b>

16. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के एवं गैर खनन क्षेत्र में अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- सीताफल, आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	2200
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोवाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभान्वित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

## 764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 जून 2024

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.



## 764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 05 जून 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

## 764वी ए राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

### दिनांक 05 जून 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Anganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### **Annexure- 'B'**

##### **Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\***

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.